बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– 55 दिनांक 4–11–2006

प्रेस विज्ञाप्ति

वर्त्तमान कल्याणकारी राज्य में सिविल/ प्रशासनिक सेवा की भूमिका बहुआयामी एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है । प्रशासनिक सेवा के दायित्वों का विस्तार बाढ़, सुखाड़ एवं विधि व्यवस्था संधारण के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो का विकास आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन तक हो गया है, प्रशासनिक सेवा के कार्यो एवं दायित्वों में उत्तरोत्तर वृद्धि भी की जा रही है ।

वर्त्तमान परिवेश में सिविल/प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में विशेष रूप से चर्चा हुई एवं इस बात पर सहमति बनी कि सिविल/प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी सीमित संसाधनों एवं अल्प आधारभूत सुविधाओं के बावजूद लगन एवं निष्ठा के साथ राज्य की विकास के लिये सतत् प्रयत्नशील है इसके बावजूद इस सेवा के पदाधिकारियों की सेवा शर्त्तो में उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पदाधिकारियो की कार्यक्षमता एवं उनके मनोबल पर परिलक्षित हो रहा है। अजादी के पूर्व एवं उसके बाद भी वर्षो तक सिविल / प्रशासनिक सेवा को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त था । वर्त्तमान वर्षो में सिविल/प्रशासनिक सेवा के एक अंग न्यायपालिका शाखा (न्यायिक सेवा) के वेतनमान एवं सेवा शर्त्तो में शेट्टी कमीशन की अनुशंसा के आलोक में सुधार किये गये है । न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को वर्त्तमान में 9000–14500/– का वेतनमान, दूरभाष की सुविधा, स्थानान्तरण अनुदान में वृद्धि, अतिरिक्त प्रभार भत्ता, सामाचार भत्ता के साथ–साथ परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, दूसरी ओर कार्यपालिका शाखा के पदाधिकारियों को 6500–10500/– का अल्प आधारभूत सुविधाओ के साथ कठिन परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

हम न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दी गई सुविधाओं एवं वेतनमान का स्वागत करते है एवं सरकार से यह मॉग करते है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भी 9000–14500/– का वेतनमान तुरत स्वीकृत किया जाय ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

दिनांक.....

पत्रांक–

19.2.2006 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये निदेश एवं माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त अबतक वेतनमान में विसंगतियो से संबंधित संचिका माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर संघ के सदस्यो में रोष है । वित्त मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त संलेख तुरत माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(2) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी कार्यो में व्यापक भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु जो कार्रवाई प्रारंभ की गयी है उसका संघ स्वागत करता है परन्तु सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान में निर्दोष पदाधिकारियो पर अत्याचार नही हो । भ्रष्टाचार उन्मूलन का अभियान सभी क्षेत्रो में समान रूप से बिना भेदभाव के चलाए जाय, क्योकि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार राज्य के लिए ज्यादा खतरनाक है । निगरानी दल के द्वारा इन दिनो की जा रही छापामारी में विशेष दण्डाधिकारी को नहीं रखा जाना छापामारी दल के कार्यो के स्थापित सिद्धान्त के विरूद्ध है । पूर्व में निगरानी विभाग के द्वारा जितनी भी छापामारी की जाती थी उसमें विशेष दण्डाधिकारी निश्चित रूप से प्रतिनियुक्त होते थे । संघ यह मॉग करती है कि पूर्व की भॉति छापामारी दल के साथ विशेष दण्डाधिकारी अवश्य प्रतिनियुक्त किय जाय जिससे कि निगरानी विभाग की छापामारी की विश्वसनीयता बनी रहें और दिखे भी ।

(3) स्थापित नियम के खुल्लम खुला उललंघन कर अनावश्यक लम्बी अवधि तक पदस्थापन नहीं करना :– अनुमंडल पदाधिकारी से वापस आये पॉच पदाधिकारियों की सेवा फरवरी, 2006 में परिवहन विभाग को सौपी गयी । परिवहन विभाग द्वारा अब तक इनको पदस्थान की प्रतीक्षा में रखे जाने की कार्रवाई की हम कड़ी निन्दा करते है और मॉग करते है कि इस प्रकार के कुकृत्यो पर सरकार तुरत अंकुश लगाये और इसके लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें जिससे सरकार को क्षति पहुॅचाने वाली कार्रवाई की पुनरावृत्ति न हो ।

(4) खाद्यान्न वितरण एवं गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों के बीच लाल कार्ड वितरण से संबंधित अनियमितताओ पर संघ की कार्यकारणी समिति में पुनः विचार किया गया एवं इस Stand को दुहराया गया कि उक्त घटनाक्रम में सरकार द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुरूप ही कार्रवाई हो ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–

दिनांक.....

स्पष्ट है कि प्रशासनिक विफलता के लिए प्रशासनिक कार्रवाई एवं अपराधिक संलिप्ता के लिए अपराधिक कार्रवाई किया जाय । अगर प्रशासनिक विफलता के लिए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया तो संघ इसका कड़ा विरोध करेंगा ।

अन्त में कार्यकारणी समिति के सदस्यो ने इस बात से सहमति व्यक्त की कि अगर प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियो की सेवा शर्त्तो मे सुधार नहीं किया गया और अकारण प्रशासनिक पदाधिकारियो को प्रताड़ित किया गया तो राज्य के विकास की गति धीमी होगी पदाधिकारियों का मनोबल गिरेगा और इसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी ।

(विपिन कुमार सिन्हा) 4/11/06
महासचिव

(कृष्ण मुरारी शर्मा) 4/11/06
अध्यक्ष

ज्ञापांक – 55 पटना, दिनांक 4-11-06

प्रतिलिपि – निदेशक, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी को सूचनार्थ एवं प्रसारणार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – सभी दैनिक पत्रों के सम्पादक को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – यू0एन0ई0 / पी0टी0आई0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विपिन कुमार सिन्हा) 4/11/06
महासचिव

ज्ञापांक – 55 पटना, दिनांक 4-11-06

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव / आयुक्त एवं सचिव, गृह / वित्त / निगरानी विभाग / सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग / अपर महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि – मुख्य मंत्री के सचिव / विशेष सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित ।

(विपिन कुमार सिन्हा) 4/11/06
महासचिव